

31.12.24

वादी ने पत्रावली तलब कर सुनवाई करने का
प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली तलब कर
आफ्न वारिस पेशी में ली गई। वादी ने प्रार्थना पत्र
में निवेदन किया कि वादी ईस्तरात प्रार्थना पत्र आगे
चलाना नहीं चाहता है तथा लोक अदालत की भावना
से प्रार्थना पत्र के तलब का नोट प्रेस में खारिज करवाना
चाहता है। पत्रावली का शकलोकन सिद्धांत गन्ना।

Not Procs

पत्रावली प्रतिवादीगण की दायरी में टुकेर
है। पत्रावली में प्रतिवादीगण का कोई काउंटर
क्लेम नहीं है। इसलिए वादी द्वारा पेश प्रार्थना
पत्र को स्वीकार कर वादी का धारा 40, 82, 182
रि.क्ट का वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाता
है। पत्रावली में सल सुधार होगा नम्बर से सल
सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी, साधार)

ममदाजी री
पुष्प
Dhanyu

